

न्यायालय तहसीलदार मसूदा जिला-अजमेर (राज०)

प्रकरण संख्या 17/2019.....

राजस्थान सरकार जरिए

बनाम

श्री. रत्नसिंह डी. मिडीलाल, मेरास

पटवारी हल्का नम्बर 2025 प्रथम भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट निर्णय

दिनांक 18/2/2019

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित । मैंने पत्रावली का अवलोकन किया । पटवारी हल्का नम्बर 2025 प्रथम द्वारा सम्बन्धित 2025 ग्राम गुवाडीम की सरकारी भूमि खसरा नम्बर 5291 कुल रकबा 18-18-00 क्तिम भूमि 11.3 में से रकबा 18-18-00 भूमि पर अप्रार्थी श्री. रत्नसिंह पुत्र मिडीलाल जाति मेरास निवासी रुदमाई द्वारा नाजायज पत्थर की परिया रोप कर लिये जाने की भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 18/2/2019 को मुकाम मसूदा पर उपस्थित होने बाबत जारी किया गया ।

अप्रार्थी में नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है । भूमि नियमन योग्य नहीं है ।

मैंने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया । अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया । भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार सरकारी खाते में दर्ज है । अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काबिज है । अतः अप्रार्थी रत्नसिंह पुत्र मिडीलाल जाति मेरास निवासी रुदमाई की सरकारी भूमि ग्राम गुवाडीम के खसरा नम्बर 5291 कुल रकबा 18-18-00 क्तिम जमीन 11.3 में से रकबा 18-18-00 भूमि पर किए गए नाजायज कच्चे/काश्त के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते हैं कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल किया जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान 400 का पचास गुणा रूपये बतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके पर खड़ी फसल/अन्य को जब्त सरकार कर निलाम किया जावे आदेश की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे । पत्रावली बाद कार्यावाही फैसल शुमारं होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/2/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया ।

तहसीलदार मसूदा
जिला अजमेर

